REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3387]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2019/आश्विन 25, 1941		
No. 3387]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019/ASVINA 25, 1941		

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2019

**का.आ. 3725(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

तालिका				
क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण		
(1)	(2)	(3)		
561	703एए	पंजाब राज्य में कपूरथला के निकट रारा-703ए के साथ अपने जंक्शन से		
		प्रारंभ होकर गोबिंदवाल साहिब को जोड़ते हुए और तरन तारन के निकट		
		रारा सं. 54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।		

[फा.सं. एनएच-14012/3/2017-पी एण्ड एम(पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 969 (अ), दिनांकित 22.02.2019 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2019

**S.O. 3725 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National	Description of National Highways
	Highway No.	
(1)	(2)	(3)
561	703AA	The highway starting from its junction with NH-703A near Kapurthala connecting Gobindwal Sahib and terminating at its junction with NH No. 54 near Taran Taran in the State of Punjab.

[F. No. NH-14012/3/2017-P&M(Pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote**:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 969 (E), dated 22.02.2019.